

# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या - 25/2020 (अपील)

GCMS No. 2020/00086

बंशीलाल आत्मज श्री कंवरलाल जाति गुर्जर निवासी जालिमपुरा तहसील  
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार चेचट जिला कोटा

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक  
27.08.2019 मि०नं० 87/2019 न्यायालय नायब  
तहसीलदार चेचट

उपस्थिति:-

1. श्री शिवनारायण नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक



निर्णय

दिनांक:-25.08.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम मवासा की भूमि खसरा नम्बर 697 की 0.40 हे० किस्म चांरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 87/2019 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 100/- रुपये की शास्ति एवं 03 माह (तीन माह) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 27.08.2019 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 17.03.2020 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का सालेड़ाखुर्द की रिपोर्ट पर ग्राम मवासा की आराजी खसरा नं० 697 की रकबा 0.40 हे० पर कब्जा कर फसल करने की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश कर लगान का 50 गुना 100/- तावान तथा तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित करने में त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाबदेही एवं शहादत हेतु अवसर दिये बिना ही नोटिस, तामिल करवाये बिना एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने पर आदेश देने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर पूर्व में भूमि से बेदखल करने बाबत कोई दखल नामा या निर्णय पत्रावली पर नहीं है फिर भी सिविल कारावास का आदेश देने में त्रुटि की है। वर्तमान में अपीलान्ट का कोई सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं

10/8/21  
जिला कलेक्टर  
कोटा

है । अपीलान्त द्वारा तावान की राशि भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जमा करादी है । आदेश एकपक्षीय दिनांक 27.8.2019 की जानकारी अपीलान्त को सर्वप्रथम आदेश पालना में वारन्ट की पालना में गांव में तलाश करने आने पर हुई, जिस पर दिनांक 25.2.2020 को नकल प्राप्त की गई, इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । वकील अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांत ने ग्राम मवासा की आराजी खसरा नं0 697 की रकबा 0.40 हे0 पर कब्जा नहीं किया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई कर अवसर दिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड एवं 100/- पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया है । वर्तमान में अपीलान्त का कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है ओर ना ही भविष्य में कब्जा करेगा । अपीलान्त द्वारा तावान राशि भी जमा करा दी गई है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.8.2019 निरस्त फरमाया जावें ।
5. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद नहीं है ओर विलम्ब से पेश करने का कोई ठोस आधार भी नहीं है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। चूंकि अपीलान्त को गत वर्ष संवत् 2075 में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाने से मि0नं0 220/2018 आदेश दिनांक 25.9.2018 से बेदखल किया गया थ । रिपोर्ट एवं बयान पटवारी अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जो उचित है ।
6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांत द्वारा यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 27.08.2019 के विरुद्ध दिनांक 17.03.2020 को पेश की गई है । यह अपील विलम्ब से पेश की गई है किन्तु अपील विलम्ब से पेश करने से प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 में बताए गये कारणों के आधार पर लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा आदेश जेर अपील की जानकारी दिनांक 25.2.2020 से नकल प्राप्ति के दिनों को मुजरा करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।
7. अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि बंशीलाल पुत्र कंवरलाल जाति गुर्जर निवासी जालिमपुरा तहसील रामगंजमण्डी ने ग्राम मवासा की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 697 रकबा 0.40 हे0 में अनाधिकृत कब्जा कर फसल सोया बोई है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्त को ग्राम मवासा के खसरा नम्बर 697 रकबा 0.40 हे0 चारागाह भूमि से बेदखली के आदेश करते हुए, 100/- रुपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

3/4/20  
जिशा कलेक्टर  
मेरा

8. अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांत ने विवादित आराजी ख0नं0 697 रकबा 0.40 हे0 किस्म चारागाह से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग आदेश जारी होने के दौ माह के अन्दर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार चेचट तहसील रामगंजमण्डी द्वारा स्वयं अथवा पटवारी / भू-अभिलेख निरीक्षक के मार्फत करली जावें, तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्त इस आशय का शपथ पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत अवधि दौ माह में प्रस्तुत नहीं करता है तथा उक्त अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो नायब तहसीलदार अतिक्रमी अपीलान्त को नियमानुसार सजा भुगतायेगा ।
9. निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर  
कोटा